3399
14-6-82

राजस्थान-सरकार
राजस्व ग्रुप-8 विभाग

क्रमांक एफ 11 17 राज-8/79   जयपुर, दिनांक 20 मई, 1982

352
15-6-82

अधि-सूचना

यतः राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न उपबन्ध में परिनिश्चित क्षेत्र को उसमें पाये जाने वाले वन्य जीवों के संरक्षण, प्रचारण एवं उनके विकास पर्यावरण के प्रयोजनार्थ उसके परिस्थितिक प्राणिजातीय, वनस्पति, भू संरचना तथा प्राणी विज्ञान संबंधि सहयोजन और महत्व के कारण वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में गठित करने की आवश्यकता है।

अतः वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 1972 के केन्द्रीय अधिनियम सं053 की धारा 18 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त क्षेत्र को एक अभ्यारण्य जिसे "वन्य जीव अभ्यारण्य रामगढ" के नाम से उदघोषित किया जावेगा के रूप में गठित करने के अपने आशय की इसके द्वारा घोषणा करती है।

उपबन्ध

वन्य जीव अभ्यारण्य रामगढ की सीमाओं का विवरण

पूर्व	-	जेतपुर-नैनवा रोड।
पश्चिम	-	बूंदी, दलेलपुरा, ठीकरदा, बोरखेडा।
उत्तर	-	अकोदा, फजलपुरा, नयागांव, डाबेटा, विषधारी, कामनाला पलासथूनी, गुडा-सदावर्तिया, नन्द गांव, बस्सी।
दक्षिण	-	बूंदी- नैनवा रोड जेतपुरा तक बूंदी-जयपुर रोड फूल सागर मोड तक

आदेश से

आनन्द मोहन लाल
राजस्व सचिव

D.C.V.
For perusal
22/5/82

क0प0उ0
2

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखनसामग्री, राजस्थान, जयपुर को असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

2- मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।

3- मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।

4- जिलाधीश, बूँदी को प्रेषित कर लेख है कि वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 19 से 26 के अन्तर्गत कार्यवाही कर इस विभाग को अवगत करावें।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1- समस्त सचिव/उप सचिव, राजस्थान जयपुर।

2- सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।

3- सचिव, मुख्य मंत्री राजस्थान जयपुर।

4- समस्त निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/उप मंत्री।

5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

6- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

7- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय/जोधपुर/जयपुर।

8- रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

एम0पी0बैरवा/14.5.82

4 3/8/79

19 28 A

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE GR.VIII DEPARTMENT.

...

NO.F.11(17)Rev.8/79 Jaipur, Dated 27 July, 1979

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub section (1) of Section 37 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Central Act NO 53 of 1972) the State Government hereby declares the Ramgarh Area of Bundi Forest Division as an area closed to hunting for a period of 10 years from the date of the issue of this notification. The boundary description of the 'Closed Area' are as follows :-

DESCRIPTION OF BOUNDARIES

The Villages constituting the boundaries of the closed area are detailed as under :-

North:	Akeda, Fadalpura, Nayagaon, Vishdhari, Plasthooni, and Bassi.
East:	Gudha, Jetpur, Antarda, Banthali.
South:	Neem Ka Khera, Gudli, Sangod, Cheeplata, Motipuri Luharpura, Manak chowk, Khatkar, Rajwas, Nayagaon, Sheopuria, Khatkar Bundi road.
West:	Bundi, Dalel Pura, Tikharda, Borkeda.

Recd 10/8/79

By Orders of the Governor

( )
Dy. Secretary to Govt.

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. The Secretary to Governor/Chief Minister.
2. Private Secretary to Minister/State Minister.
3. Private Secretary Chief Secretary.
4. All Commissioners and Secretaries to Govt of Rajasthan.
5. The Secretary Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
6. The Chief Wildlife Warden, Rajasthan Jaipur.
7. The Chief Conservator of Forests, Rajasthan Jaipur.

Dy. Secretary to Govt.

Copy also forwarded to the Superintendent, Government Central Press Jaipur for publishing this in next issues of Rajasthan Rajpatra.

Dy. Secretary to Govt.

M.P. Bairwa/23-7-79

Copy forwarded to ... Bundi for information & n/a

B.K.

CF(WL)